संख्या 97/2016/1369/41-2016-16 यो0/12

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषय:- जनपद इटावा के सैफई में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-641/6-1-1(396)/2012, दि0 03-08-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद इटावा के सैफई के निर्माण एवं स्थापना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2893.38 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 10.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-52/2016/567/41-2016, दिनांक 30.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद इटावा के सैफई के निर्माण एवं स्थापना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 10.00 करोड (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(अ) प्रश्नगत परियोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस संक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृति कराया जायेगा।

(स) प्रायोजनान्तर्गत ग्लेवनाइज्ड डेकोरेटिव पोल एवं डेकोरेटिव ल्युमिनरीज का प्राविधान किया गया है जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(द) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(य) प्रायोजना के निर्माणोपरान्त संचालन एवं रखरखाव का कार्य उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(र) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-52/2016/567/41-2016, दिनांक 30.03.2016 में उल्लिखित प्राविधानों तथा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों और प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-संवर्धन तथा प्रचार-16-सैफई-इटावा में पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-97/2016/1369(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार इलाहाबाद।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
4- जिलाधिकारी, इटावा।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
9- राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10 गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in